न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 34/2013

प्रार्थी –

वीरमसिंह उर्फ विक्रमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर हाल निवासी रामसीण तहसील डीसा जिला बनासकांठा (गुजरात)

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. रेवेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
2. ग्राम पंचायत चौहटन जरिये सरपंच

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 2531/04–05 दिनांक 20.03.2007 जो अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा जारी किया गया ।

उपस्थिति :–
1. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 27.02.2023

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम चौहटन में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 2531/04–05 दिनांक 20.03.2007 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 3162.5 वर्ग फुट दर्शाया गया है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता,

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत चौहटन का प्रश्नगत अभिलेख तलब किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पूर्वज खुशालसिंह पुत्र कलसिंह जागीरदारान चौहटन के समय का एक बड़ा भूखण्ड पूर्व–पश्चिम 220 फीट, उतर–दक्षिण 260 फीट का आया हुआ था। उक्त भूखण्ड में से खुशालसिंह के चारों पुत्रों हड़मतसिंह, जीवराजसिंह, हरिसिंह एवं भंवरसिंह ने आधा प्लॉट दक्षिण तरफ का बेचान कर दिया तथा शेष आधा रहा, जिसमें खुशालसिंह के पुत्र हड़मतसिंह व जीवराजसिंह ने आधा हिस्सा मोहनलाल सोनी वगैरह का बेचान कर दिया। इसके उपरांत शेष भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व व आधिपत्य का रहा जिसका नाप पूव–पश्चिम 55 फीट, उतर–दक्षिण 57.5 फीट कुल क्षेत्रफल 3162.5 वर्गफीट हैं। इसके पड़ौस में पूर्व में मोहनलाल पुत्र शंकरलाल का मकान, पश्चिम में चम्पालाल वगैरह पि0 सुल्तानमल का मकान, उतर में आम रास्ता सीमेन्ट सड़क व दक्षिण में बाबूलाल, आसूलाल धारीवाल का रहवासी मकान आया हुआ हैं। अप्रार्थी सं. 1 के पिता ने अपने हिस्से में मकान बना दिया तथा प्रार्थीगण के हिस्से का भूखण्ड खाली पड़ा था। प्रार्थीगण ज्यादातर गुजरात में रहने के वजह से अनुपस्थिति का लाभ उठा कर पंचायत के सदस्यों एवं सरपंच से मिलावट कर अप्रार्थी सं. 1 ने अपना पुराना कब्जा बताकर आलौच्य विक्रय विलेख सं. 2531 दिनांक 20.03.2007 जारी करवा लिया। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा ग्राम चौहटन की पुरानी आबादी भूमि में प्रस्ताव सं. 6(4) दिनांक 05.11.2006 के मार्फत आलौच्य विक्रय विलेख अकेल अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित करने में कानूनी एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं। प्रार्थीगण द्वारा चौहटन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आकर पता किया तो उन्हे दिनांक 29.06.2013 को ज्ञात हुआ और नकलें प्राप्त करने के उपरांत यह निगरानी अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई हैं। अतः प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा पारित प्रस्ताव सं. 6(4) दिनांक 05.11.2006 कि अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख सं. 2531/04.05.2007 को निरस्त कर निगरानी प्रार्थना–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये गये बरंग हरा एबीसीडी प्रार्थीगण के भूखण्ड का पट्टा प्रार्थीगण के नाम जारी करने का आदेश फरमाया जावें।

4. अप्रार्थी सं. 1 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.1 के पूर्वज खुशालसिंह के स्वामित्व के भूखण्ड का चारों पुत्रों द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लिया था तथा उक्त बंटवाड़ा अनुसार अप्रार्थी सं. 1 के पिता स्व0 हरिसिंह ने विवादग्रस्त भूखण्ड पर अपना मकान निर्माण कर परिवार सहित निवास करते आ रहे थे तथा उनके देहान्त के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा हैं। प्रार्थी के हिस्से के भूखण्ड का चालाकी से हड़वन्तसिंह व जीवराजसिंह द्वारा बेचान कर दिया तथा वादग्रस्त भूखण्ड में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं रहा हैं। प्रार्थी को हड़वन्तसिंह व जीवराजसिंह के विरूद्ध सिविल वाद दायर कर अपने हिस्सा को प्राप्त करने हेतु चाराजोही करनी चाहिए थी किन्तु जानबूझकर अप्रार्थी सं. 1 के भूखण्ड में अपना हक बताकर यह निगरानी याचिका गलत आधारों पर तथा तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत की गई हैं जो खारिज योग्य हैं।

5. अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया हैं कि वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी का पुराना आवासीय मकान बना हुआ हैं तथा मकान के आगे अहाता छोड़ा हुआ हैं। इस हेतु अप्रार्थी ने अपने अवासीय भूखण्ड का पट्टा लेने हेतु ग्राम पंचायत का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा तीन सदस्यों की मौका कमेटी बनाकर वादग्रस्त भूखण्ड का

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मौका देखकर तत्पश्चात आपत्तियां आमंत्रित कर, आलौच्य पट्टा विलेख जारी किया गया हैं जो विधि अनुकूल हैं तथा किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नही हैं। वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा हैं और न ही वादग्रस्त भूखण्ड में हक व हिस्सा हैं ऐसे स्थिति में प्रार्थीगण को यह निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना–पत्र गलत, निराधार एवं विधि के प्रतिकूल होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा मिसल सं. 774/04–05 पर पंचायत की बैठक दिनांक 05.11.2006 में पारित प्रस्ताव सं. 6(4) के अनुसरण में आलौच्य पट्टा सं. 2531 दिनांक 20.03.2007 जारी किया गया हैं जबकि ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकनार्थ एवं परीक्षण हेतु तलब किये जाने पर अवगत कराया गया हैं कि उक्त पट्टा पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत के चार्ज में नहीं हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित आवेदन–पत्र, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 वक्त बहस अनुपस्थित रहे हैं तथा लिखित जवाब में इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण अथवा प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार पट्टा पत्रावली एवं पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अभाव् में आलौच्य पट्टा संदिग्ध होना जाहिर होता है। अप्रार्थी संख्या 1 के आलौच्य भूखण्ड पर पुराने कब्जे एवं पारिवारिक बंटवाड़ा के संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत जवाब के साथ प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अभाव एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आलौच्य पट्टा जारी करने का जो संकल्प संख्या 6(4) दिनांक 05.11.2006 पारित किया गया है वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है जो काबिल खारिज है। लिहाजा ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा अनियमित, अविधिक एवं अपूर्ण कार्यवाही के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 6(4) दिनांक 05.11. 2006 एवं उसके अनुसरण में की गई कार्यवाही निरस्त योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा दिनांक 20.11.2006 को पारित संकल्प संख्या 6(4) के अनुसरण में जारी पट्टा सं. 2531 दिनांक 20.03.2007 एवं उससे संबंधित पंचायत की कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर